न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्ड पीठ रीवा ﴾म0प्र0﴿

R 5279-II/16

रमेश कुमार तनय स्व0 श्री भुवनेश्वर प्रसाद ब्रा0 द्वारा आम मुख्तार - सुभाषचन्द्र शर्मा तनय स्व0 भूषणचन्द्र शर्मा निवासी समान तहसील हुजूर जिला रीवा म.प्र. ---------- निगराकर्ता

आवेदक अभिभाषक श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रा द्वारा पेश 25.6.16

बनाम

1- मनोज कुमार मिश्रा तनय श्री बृजकिशोर मिश्रा उम्र 33 वर्ष, निवासी मोहल्ला बिछिया रीवा तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0

2- जयदीप प्रधान तनय श्री महादेव प्रधान उम्र 45 वर्ष निवासी मोहल्ला कटरा रीवा तह0 हुजूर जिला रीवा,

3- कुमारी निधि बाजपेयी पुत्री श्री गयाचरण बाजपेयी उम्र 22 वर्ष पेशा विद्या अध्ययन,

4- गयाचरण बाजपेयी तनय स्व0 अनन्दीप्रसाद बाजपेयी उम्र 46 वर्ष पेशा खेती दोनो निवासी ग्राम रतहरा रीवा तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0 ------- गैर निगराकर्तागण

﴾निगरानी विरूद्ध आदेश श्री मान तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक 138अ-6/2008-09 जो दिनांक 26/4/016 आर्डर सीट मे पारित किया गया ।

================================

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू. रा0 संहिता 1959ई0 के तहत ।

================================

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य निम्न है :-

﴾1﴿ यह कि भूमि खसरा क्रमांक 172 रकबा 1.41ए0 स्थित ग्राम

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5279–दो/16 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री गोबिन्द प्रसाद मिश्रा द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 138/अ–6/2008–09 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 26.4.16 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक को विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिपरीक्षण हेतु कई अवसर प्रदाय किये गये लेकिन वह उपस्थित नहीं हुये हैं। अतः प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु नियत करने में विचारण न्यायालय द्वारा को त्रुटि नहीं की गई है। अतः तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 138/अ–6/2008–09 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 26.4.16 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होने के कारण स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने	

से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य